रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032023-244012
CG-DL-E-01032023-244012

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 911]	नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2023/फाल्गुन 10, 1944
No. 911]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2023/PHALGUNA 10, 1944

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 फ़रवरी, 2023.

का.आ. 948(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश कर सकेगी, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कपास गांठें (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 है ।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख के एक सौ अस्सी दिवस पश्चात् प्रवृत्त होगा ।

2. लागू होना.- यह आदेश, इस आदेश से संलग्न उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं के संबंध में लागू होगा, लेकिन यह निर्यात के लिए बनाए गए माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा, जो विदेशी क्रेताओं द्वारा अपेक्षित विनिर्देश के अनुरूप है ।

3. मानक चिह्न का आज्ञापक प्रयोग.- उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु उसके स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची 2 की स्कीम-2 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न लगे होंगे ।

4. सत्यापन और प्रवर्तन प्राधिकारी.- (1) भारतीय मानक ब्यूरो उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं की बाबत सत्यापन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा ।

(2) भारतीय मानक ब्यूरो के अतिरिक्त राज्य सरकार के उद्योग विभाग में महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र की पंक्ति से अन्यून का अधिकारी भी प्रवर्तन प्राधिकारी होगा ।

5. उल्लंघन के लिए शास्ति.- कोई व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के उपबंधों के अनुसार दंडनीय होगा ।

अनुसूची

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम
(1)	(2)	(3)
कपास गांठें	आईएस 12171:2019	कपास गांठें-विनिर्देश

टिप्पण : अनुसूची के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (17) के उपबंधों के अनुसार समय समय पर ब्यूरो द्वारा स्थापित और प्रकाशित भारतीय मानक ब्यूरो का अद्यतन संस्करण ऐसे प्रकाशन की तारीख से लागू होगा ।

[फा. सं. 1/5/2018-फाइबर I]

प्राजक्ता वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 28th February, 2023

S.O. 948(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) This Order may be called the Cotton Bales (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force after one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Application. - This Order shall apply in relation to goods or article specified in column (1) of the said Schedule annexed to this Order, but shall not apply to goods or article meant for export, which conform to the specification required by the foreign buyer.

3. Compulsory use of Standard Mark. - Goods or article specified in the column (1) of the said schedule shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) therein and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme-II of Schedule II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

4. Certifying and enforcing authority. - (1) The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or article specified in column (1) of said Schedule.

(2) In addition to the Bureau of Indian Standards, an officer not below the rank of General Manager, District Industries Center in the Department of Industries of the State Government shall also be the enforcing authority.

5. Penalty for contravention. - Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable in accordance with the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).

SCHEDULE

Goods or article	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Cotton Bales	IS 12171:2019	Cotton Bales- Specification

Note : For the purposes of the Schedule, it is clarified that the latest version of Indian Standards established and published by the Bureau from time to time in accordance with the provisions of clause (17) of section 2 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), shall apply from the date of such publication.

[F. No. 1/5/2018-Fibre I]

PRAJAKTA VERMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.03.01 22:11:42 +05'30'